MR. SPEAKER : Now, papers to be laid on the Table....

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, I want to make a submission. I have given notice under rule 377. News has appeared today that yesterday near the Tughlaqabad Railway Station there was a clash between railway employees and members of a marriage party....

MR. SPEAKER : It is being considered.

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Sir, I have given notice under rule 377 about the decision of the American Government to send peace corps to India....

MR. SPEAKER : It is being considered.

Papers to be laid on the Table.

12.26 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Correction of Answer to S. Q. No. 66 dated 24-2-78

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) : on behalf of Shri H. M. Patel, I beg to lay on the Table a statement (i) correcting the reply given on the 24th February, 1978 to supplementary question by Shri Arjun Singh Bhadoria on Starred Question No. 66 regarding steps to realise arrears of taxes and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply. [*Placed in Library. See* No. LT-2232/78].

Tea (Registration of Dealers and Declaration of Stocks) Order, 1978 & Annual Report of I.S.I. for 1976-77

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Tea (Registration of Dealers and Declaration of Stocks) Order, 1978 (Hindi and English versions), published in Notification No. S.O. 271(E) in Gazette of India dated the 15th April, 1978 under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT-2233/78].

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Standards Institution, New Delhi for the year 1976-77. [*Placed in Library. See* No. LT-2234/78].

12.27 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

Fourth Report

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Sir, I beg to present the Fourth Report of the Committee on Papers Laid on the Table.

12.27½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Centrally sponsored Rural Link Roads Scheme

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं । केन्द्र प्रवर्तित रूरल लिंक रोड्स योजना 1977–78 के लिए प्रारम्भ की है किन्तु दुःख की बात है कि इस योजना को जिस प्रकार से चालू रखना चाहिए था, केन्द्र सरकार ने चालू नहीं रखा है और इस कारण अनेक राज्यों को काफी कठिनाई भी अनुभव करनी पड़ेगी ।

भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) ने वर्ष 1977–78 में ग्रामीण पहुंच मार्गों की एक केन्द्रीय योजना का शुभारम्भ किया है । इसके अनुसार तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स देते हुये उन्होंने कहा कि लगभग 1500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ा जाये । ऐसे किसी एक पहुंच मार्ग की लम्बाई पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये । इन सड़कों के माध्यम से ग्रामीणों की कृषि उपज सुगमता से बाजार में पहुंचेगी और कृषक समृद्ध होंगे । सभी राज्यों को वर्ष 1977–78 में आवंटन दिया गया । मध्य प्रदेश को कुछ आवंटन 1.80 करोड़ रुपए मिला । भारत सरकार ने यह संकेत किया था कि योजना वर्ष 1978–79 में भी चालू रहेगी

[श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय]

और प्रथम वर्ष की प्रगति देख कर अगले वर्ष राज्य को अधिक अनुदान दिया जा सकेगा।

तदनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर लम्बाई की और 6 करोड़ रुपए लागत की सड़कों की स्वीकृति दी गई जिनका निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से आदेशित किया गया। यह इस उद्देश्य से किया गया कि जब वर्ष 1978–79 में बढ़ा हुआ अनुदान प्राप्त हो तो उसका पूर्ण उपयोग हो सके।

परन्तु मार्च, 1978 में भारत सरकार ने सूचित किया कि 1 अप्रैल, 1978 के बाद इस योजना के अधीन कृषि-मंत्रालय से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होगा। यह कहा गया कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की बढ़ी हुई वार्षिक योजना-सीमा में यह कार्यक्रम संचालित होना चाहिये। इस निर्देश से प्रदेश सरकार के सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई है। लोक निर्माण विभाग के अपने कार्यक्रम हैं और उनकी वार्षिक योजना-सीमा उनके बढ़े हुये कार्यों के लिए ही पर्याप्त है। ग्रामीण लिंक रोडस को केन्द्रीय योजना के इस बढ़े हुये उत्तरदायित्व को अनपेक्षित रूप से लोक निर्माण विभाग की योजना में शामिल किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। यह समीचीन होता कि भारत सरकार पूर्व नोटिस देकर सूचित करती कि उनके संकेतों के अनुसार वर्ष 1978–79 में अनुदान मिलेगा परन्तु भविष्य में नहीं। ऐसा होने पर प्रदेश शासन कार्यक्रम को योग्य रूप से समायोजित करने की स्थिति में रहता। भारत सरकार ने यह छूट दी है कि वर्ष 1977–78 के आवंटन का उपयोग जून, 1978 तक किया जा सकता है। परन्तु इससे समस्या का हल नहीं होगा।

प्रदेश शासन इस अनपेक्षित केन्द्रीय निर्णय से संकट की स्थिति में पहुंच गया है। उसने जो निर्माण कार्य हाथ में लिए हैं उनके अपूर्ण रहने की सम्भावना बन गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि केन्द्र इस पर पुनर्विचार करे।

अतः सार्वजनिक महत्व के इस विषय पर कृषि मंत्री स्थिति स्पष्ट करते हुये तथा आश्वस्त करते हुये कि प्रदेश को समुचित सहायता दी जाएगी वक्तव्य देने का कष्ट करेंगे और घोषणा करेंगे कि ग्रामीण लिंक रोडस योजना ठीक कार्यान्वित होगी।

(ii) REPORTED SHARP FALL IN PRICE OF SHORT STAPLE COTTON IN GUJARAT

श्री मोती भाई आर० चौधरी: (बनासकांठा) : मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के बारे में पन्द्रह दिन पहले 377 के अधीन मामले को उठाया था लेकिन मुझे समय पर इस के बारे में कहने का मौका नहीं मिला। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे समय पर लोक हित के विषय को उठाने का मौका दिया जाना चाहिये था। ये जो अविलम्बनीय महत्व के विषय उठाये जाते हैं उनके बारे में तुरन्त कुछ न कुछ कार्यवाही करनी होती है।

मैं आपकी अनुमति से निम्न विषय जो अविलम्बनीय लोक महत्व का है, उठाना चाहता हूं :

MR. SPEAKER: Just to correct you, I allowed it last week but you were absent: and now you are blaming us for not giving you an opportunity earlier. You were absent on 2nd May and now you are turning the table on us.

श्री मोती भाई आर० चौधरी: यह सिमेंट के बारे में था। मैंने पहले से लिख कर दिया था।

MR. SPEAKER: On this very matter we allowed you.